

LEGEND FOR FIRE SAFETY

P1	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2050 LMP
P2	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2850 LMP
P3	JOCKY PUMP 180 LMP
I	HARD HYDRANT WITH HOSE CABINET
BFY/M	BUTTER FLY VALVE
NRVN	NON-RETURN VALVE
	HOSE REAL 20 MM Ø 30 MT. LONG
	HOSE CABINET BOX EACH R.R.L. HOSE PIPE 15-15 MT. LONG
	BRANCH PIPE
	FIRE SERVICE IN-LET CONNECTION
ARV	AAI REDUCE VALVE
	SPRINKLER IN BASEMENT
	M.G.P.
	ELECTRONIC HOOTER
	SPEAKER
	CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER
	ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER
	FIRE BUCKET
U.G.TANK	UNDER GROUND WATER TANK FOR FIRE PURPOSE CAPACITY - 10000 LITER
T.TANK	TERRACE TANK FOR FIRE PURPOSE CAPACITY - 10000 LITER ON EACH TOWER
	SMOKE EXTRACTION SYSTEM IN BASEMENT

LEGEND

WATER SUPPLY LINE	
SEWER LINE	
SEWER MANHOLE	
RAIN WATER HARVESTING KINE	
CHAMBER	
RECHARGE PIT	
ELECTRICAL LINE	

प्रतिबन्ध (समाजवादी आवास योजना)

- विकासकर्ता द्वारा दिये गये शब्ध पत्र के कम में प्रदूषण विभाग की अनापत्ति निर्धारित अवधि (03 माह) में प्राप्त नहीं होती है अथवा विपरीत प्राप्त होती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदन्तर्गत में संशोधित मानचित्र पुनः स्वीकृत करना होगा।
- शब्ध पत्र दिनांक 17.12.2016 के अनुसार प्रस्तावित नवन निर्माण उपविधि से सम्बन्धित सम्पूर्ण लेबर सेट के भुगतान एवं लेबर डिपार्टमेंट की अनापत्ति के पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- स्वीकृत विन्यास मानचित्र नू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। नू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दो गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- विकासकर्ता द्वारा दिये गये शब्ध के अनुसार समस्त शर्तों का पालन तथा अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त अनापत्तियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृत सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित किये हुये निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
- नवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एवं तथा नेशनल बिल्डिंग कोडटी कार्टरिल के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। लेबर सेट शुल्क को नियमानुसार जमा करना होगा।
- सुदृक्वर डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सेवाटर हाईरिडिंग का प्रावधान करना होगा।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्रावधान करना होगा।
- निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार वृक्ष एवं लैंड स्कोपिंग का प्रावधान करना होगा।
- मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
- भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- अपार्टमेंट एक्ट तथा विभिन्न समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आख्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति की शर्तों का भी अनुपालन करना होगा। लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति के कम में रोड वाइडनिंग अनिवार्य रूप से छोड़ना होगा।
- आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिविटी सम्बन्धित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी एवं स्थानीय निकायों को योजना हस्तान्तरित किये जाने का उत्तरदायित्व नू-स्वामी/आवेदक का होगा।
- अन्य आवश्यक प्रतिबन्ध/शर्त मानचित्र पर अंकित कर दी जायेगी।
- नवन विवरण में अशक्त व्यक्तियों के लिए नवन उपविधि में अपेक्षित प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
- समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश सं-12/2016/119/आ-1-16-34बैठक/2014 दिनांक 12.01.2016, शासनादेश सं-74/3482/आ-1-14-34बैठक/14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश सं-73/2998/आ-1-14-34बैठक/14 दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश सं-13/2016/120/आ-1-16-34बैठक/2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य है तथा आवास बन्धु के पत्र सं-922/आ-1/सं-30आओ-डी-पीओ/2016 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
- मीके पर एसओपीओ स्थापित करना अनिवार्य है।
- नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत बांधगणत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
- यदि मानचित्र एवं स्थल भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ090 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यदि मानचित्र एवं स्थल भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।



SHEET No. - 8/8

PROJECT
PROPOSED AFFORDABLE GROUP HOUSING
"THE WOODS NAUBASTA"
UNDER THE SAMAJWADI AWAS YOJNA.

AT
KH./PLOT No.- 587 (PART)
VILLAGE- NAUBASTA KALA,
PARGANA & TEHSIL - LUCKNOW
DISTT.- LUCKNOW, UTTAR PRADESH

LEGEND

WATER SUPPLY LINE	
SEWER LINE	
SEWER MANHOLE	
RAIN WATER HARVESTING KINE	
CHAMBER	
RECHARGE PIT	
ELECTRICAL LINE	

ALL THE INFORMATION REGARDING LAND & ITS OWNERSHIP IS PROVIDED BY THE OWNER. ARCHITECT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY KIND OF DISCREPANCY.

SUBMISSION DRAWING

SCALE	DATE
1:500	SEPTEMBER- 2016
DRG. TITLE	NORTH
SERVICE FLOOR PLAN	
DRG. No.	
8/8	
DRAWN BY	
SANDEEP	

Touch Wood Infra Ventures P. Ltd.

OWNER SIGNATURE Director
ARCHITECT SIGNATURE

ARCHITECT
PUNIT SRIVASTAV
VASTULIPI
ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
VASTU SHASTRA CONSULTANTS
3/171, VIRAM KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PH. NO. - 9415418151, 9935590999
email- vastulipi@gmail.com
website - www.vastulipi.com